# बिहार महादलित विकास मिशन

"मुख्यमंत्री जीवन द्रष्टि योजना"

# प्रस्तावना / योजना–

मुख्यमंत्री जीवन द्वष्टि योजना के तहत् महादलितों को मुख्य धारा से जोड़ने, प्रभावी जीवन द्वष्टि बनाने एवं उनमें जागरूकता लाने हेतु सूचना का सशक्त माध्यम Vkf t LVj प्रत्येक महादलित परिवार को दिये जाने का प्रस्ताव है।

## लाभान्वितों के चयन के लिए अर्हता–

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सर्वेक्षित एवं अनुमोदित पारिवारिक सूची में दर्ज सभी बी0 पी0 एल0 महादलित परिवार को दिया जाएगा।

सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में कार्यरत परिवारों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

पारिवारिक सूची (बी0 पी0 एल0) में छुटें हुए वैसे महादलित परिवारों के नाम सूची में जोड़ने के बाद ही इसका लाभ उन्हें

# ट्राँजिस्टर क्रय हेतु नगद राशि–

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सर्वेक्षित एवं अनुमोदित पारिवारिक सूची में दर्ज सभी बी0 पी0 एल0 महादलित परिवारों को ट्राँजिस्टर क्रय करने हेतु 400/–रू० प्रति परिवार नगद राशि के रूप में दिया जायेगा।

# सूची तैयार करने की प्रकिया–

प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अधिनस्थ पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक के सहयोग से पारिवारिक सूची के आधार पर सभी बी०पी०एल० महादलित परिवारों को चिन्हित कर सूची तैयार करायेंगे। इस कार्य में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आवश्यक सहयोग देगें।

## सूची का प्रेषण एवं राशि की माँग–

प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायतवार/वार्डवार (शहरी) चिन्हित सभी बी०पी०एल० महादलित परिवारों की तैयार सूची के आलोक में राशि की मांग जिला परियोजना पदाधिकारी से करेंगे। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रति बी०पी०एल० महादलित परिवार के लिए ट्राँजिस्टर क्रय करने हेतु 400/– रू० की दर से राशि का आवंटन किया जाएगा।

## राशि का आवंटन –

जिला परियोजना पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला पदाधिकारी से संचिका में आदेश प्राप्त कर राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करेंगे।

## वितरण की प्रक्रिया –

राशि वितरण हेतु पूरे राज्य के लिए एक तिथि विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। सभी पंचायतों एवं वार्डो (शहरी) में निर्धारित तिथि को वितरण–शिविर आयोजित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार विभिन्न वार्ड को मिलाकर वितरण स्थल निर्धारित किया जा सकता है।

पंचायतों एवं वार्डो (शहरी) में पंचायत भवन या कोई उपयुक्त सरकारी भवन में शिविर का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

## वितरण की प्रक्रिया –

राशि का वितरण जन प्रतिनिधियों यथा वर्त्तमान मुखिया, हारे हुए मुखिया, वर्तमान वार्ड सदस्य एवं हारे हुए वार्ड सदस्य की उपस्थिति में पहले से चिन्हित छात्र/छात्राओं के बीच किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड आयुक्त, हारे हुए वार्ड आयुक्त की उपस्थिति में किया जाएगा। इस कार्य में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आवश्यक सहयोग करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्धारित तिथि के पूर्व ही लिखित रूप से इन जन प्रतिनिधियों को आंमत्रित करने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।

# वितरण की प्रक्रिया –

सूची के आधार पर प्रत्येक पंचायत/वार्ड में पंजी संधारित कर लाभान्वित बी०पी०एल० महादलित परिवारों को निर्धारित राशि पंचायत सेवक, राजस्व कर्मचारी, अन्य सरकारी कर्मी के उचीत पहचान पर भुगतान किया जायेगा।

प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अधिनस्थ पंचायत सेवक, राजस्व कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक के माध्यम से शिविर का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड/शहरी क्षेत्र (वार्डो) को जोन में बाँटकर प्रत्येक जोन में अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी को पर्यवेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।

# वितरण की प्रक्रिया –

नगद राशि वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने हेतु शिविर पूर्व प्रचार–प्रसार एवं शिविर का विडियोग्राफी किया जाएगा। विडियोग्रफी नहीं होने की स्थिति में फोटोग्राफी का कार्य किया जाएगा।

जिस पंचायत/वार्ड में वितरित राशि अधिक होगी वहाँ आवश्यकतानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा राशि को सुरक्षित पहुँचाने हेतु पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

## मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण–

जिला कल्याण पदाधिकारी सह जिला परियोजना पदाधिकारी, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी महादलित) कार्यक्रम का पूरे जिले में समन्वय एवं गहन पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे।

प्रमंडल स्तर पर उपनिदेशक (कल्याण) प्रत्येक जिला के परियोजना पदाधिकारी के लगातार सम्पर्क में रहकर क्षेत्र भ्रमण कर विस्तृत प्रतिवेदन परियोजना निदेशक बिहार महादलित विकास मिशन को प्रेषित करेंगे।

## मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण–

जिला पदाधिकारी के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी सम्पूर्ण गतिविधियों के प्रभावकारी पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड/नगर क्षेत्र में प्रतिनियुक्त कर पर्यवेक्षण करेंगे।

# धन्यवाद!